राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर

2,2ए झालाना डूंगरी, जयपुर

दूरभाष नं. 0141–2700540 फैक्स 0141–2710362

Email: rstbsecy22@gmail.com

मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की आवश्यकता

विज्ञप्ति संख्या 174

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल को जिला मुख्यालय पर स्थित वितरण केन्द्रों एवं जयपुर मुख्यालय पर कार्य करने के लिए शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रायलिक संवर्ग के कार्मिकों को रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	स्वीकृत पद नाम	पे–बेण्ड	ग्रेड पे	नवीन वेतनमान में लेवल	रिक्त पद
1	कार्या. सहायक / सहा. प्रबन्धक	9300– 34800	3600	L-10	18
2	वरिष्ठ लिपिक	5200– 20200	2800	L-8	20
3	कनिष्ठ लिपिक	5200– 20200	2400	L-5	45
	कुल योग				83

मण्डल में उक्त रिक्त पदों के लिए **(शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के अतिरिक्त)** जो सेवारत कार्मिक (मंत्रायलिक संवर्ग) प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक हो, वे अपना आवेदन संबंधित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से दिनांक 31.10.2018 तक राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल 2–2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर में भिजवाना सुनिश्चित करें।

शिक्षा विभाग से आने वाले सेवारत मंत्रायलिक सवंर्ग के कार्मिको कें संबंध में निम्न प्रावधान लागू होंगे:–

1. शिक्षा विभाग से आने वाले कार्मिकों को राज्य सरकार के नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।
2. उक्त रिक्त पदों में वृद्धि / कमी की जा सकती है।
3. प्रतिनियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। इस अवधि में कमी / वृद्धि के विषय में निर्णय मण्डल का होगा।
4. उक्त रिक्त पदों पर निर्धारित पे–बेण्ड / ग्रेड–पे / नवीन वेतनमान लेवल में कार्यरत कार्मिक आवेदन कर सकते है जिन्हें उनके सेवाकाल में किसी भी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया हो।
5. सेवारत कार्मिकों को जिला स्थित वितरण केन्द्रों पर रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापित करने के उपरान्त उन्हें पुस्तकों की प्राप्ति / वितरण से सम्बन्धित रिकॉर्ड का संधारण एवं स्टोर का कार्य सम्पादित करना होगा।
6. प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों को राज्य के किसी भी जिलें में स्थित वितरण केन्द्र पर पदस्थापन किया जा सकता हैं। कर्मचारी जिस जिले का निवासी होगा उसे उसी जिलें में पदस्थापन करने हेतु प्राथमिकता दी जा सकेगी।
7. शिक्षा विभाग में कार्यरत मंत्रायलिक संवर्ग के कार्मिक ही आवेदन कर सकते है। शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक उक्त पदों के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
8. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. कार्मिको का चयन वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।
10. आवेदन पत्र मण्डल के वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in/rstb से डाउनलोड किया जा सकता है।

सचिव

EUN sharma2012(jit) 9

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल,जयपुर

2, 2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–2700540 फैक्स 0141–2710362

आवेदन पत्र

आवेदित पद ....

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	वर्तमान डाक का पता	
5.	स्थाई डाक का पता	
6.	मोबाईल नं. एवं ई–मेल आई.डी.	
7.	शैक्षणिक योग्यता	
8.	विशेष शैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर ज्ञान)	
9.	विभाग का नाम एवं पता	
10	पदस्थापन स्थान एवं पता	
11	नियुक्ति तिथि	
12	वर्तमान में धारित पद	
13	वर्तमान में पे–बेण्ड एवं ग्रेड–पे/नवीन वेतन मान में लेवल	
14	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जिसको आप पद हेतु अपनी उपयुक्ता के अनुसमर्थन में उल्लेखित करना चाहते है।	

वचनबद्धता

मैं शपथ पूर्वक अभिपुष्टि करता हूँ कि ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना मेरे सर्वोतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है मै यह भी वचन देता हूँ कि उपरोक्त पद हेतु अपनी चयन की स्थिति में, मैं अपनी उम्मीदवारी को वापिस नहीं लूंगा अथवा प्रस्ताव किये जाने पर पद को अस्वीकार नहीं करूंगा।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित
(वर्तमान नियोक्ता मुहर सहित)

EUN sharma2012(jit) 9

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री / श्रीमति...जो अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के नियंत्रण में ....के पद पर कार्यरत है, वे इस विभाग के नियमित कार्मिक है। इनकी सेवाएं राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल को प्रतिनियुक्ति पर देने में कोई आपत्ति नहीं है। इनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नही की गई है तथा न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

दिनांक.............................

हस्ताक्षर
पदनाम मय सील